न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 148/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पुखराज पुत्र स्व0 गिरधारीलाल 2– बाबूलाल पुत्र स्व0 गिरधारीलाल 3– फूलचंद पुत्र स्व0 गिरधारीलाल 4– कमलादेवी पुत्री स्व0 गिरधारीलाल सभी जातियान लुहार निवासी ग्राम बेडा तहसील बाली जिला पाली		1– छोगालाल पुत्र स्व0 गिरधारीलाल जाति लोहार निवासी ग्राम बेडा, तहसील बाली जिला पाली 2– सरपंच ग्राम पंचायत बेडा, तहसील बाली जिला पाली 3– तहसीलदार बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाली जो राजस्व अपील संख्या 1/2019 अनवान पुखराज वगैरा बनाम छोगाराम वगैरा मे दिनांक 30–7–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री प्रकाश राईका रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 3 की ओर से ।
4–रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 21–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेडा चक नंबर 1 हाल खसरा नंबर 1931 जिसके पुराने खसरा नंबर 1818/6 थे, की भूमि अपीलांट के पिता गिरधारीलाल पुत्र कुपा कौम लवार के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार गिरधारीलाल के फौत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का म्युटेशन संख्या 79 दिनांक 13–6–1971 मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मात्र एक पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 छोगा पुत्र गिरधारी कौम लवार के नाम का स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक खातेदार गिरधारी के कुल 4 पुत्र एवं एक पुत्री थे । वर्तमान अपीलांटगण (शेष वारिसान) को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर उक्त म्युटेशन संख्या 79 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील पेश की थी तथा धारा 5 मयाद अधिनियम मे अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी समय पर नही होने का संतोषप्रद कारण का उल्लेख किया जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–7–2019 के द्वारा अपीलांटगण की अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलांटगण ने यह द्वितीय अपील

मनघडंत तरीके से पेश की है। वकील रेस्पो0 ने लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 79 जो कि वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ था उसके लगभग 48 वर्ष की कालावधि व्यतित हो जाने के पश्चात बिना किसी उचित आधार के अपील पेश की है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलांट के पिता की मृत्यु कब हुई, अपीलांटगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा यह भी उल्लेख किया कि अपीलांटगण बाहर कमाते है तथा गांव मे आते जाते रहते है इसलिए उक्त नामांतरकरण की जानकारी उन्हे पूर्व से ही थी परंतु उन्हेने उनकी माता खीमीबाई के देहांत होने के बाद राजस्व रेकर्ड देखने पर अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने बाबत कथन गलत होना बताया तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने अपीलाधीन म्युटेशन को 48 वर्ष बाद चुनौती दी है जबकि उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पो0 संख्या 1 के नाम भू प्रबंध पूर्व से ही दर्ज चला आ रहा है जिसको नामांतरकरण अपील के जरिये चुनौती नही दी जा सकती है तथा यह भी उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब से प्रस्तुत अपील का कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो मयाद अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप अपीलांटगण की प्रथम अपील को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 सभी मृतक खातेदार गिरधारीलाल के पुत्र एवं पुत्रि है तथा इन सभी का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार अपीलधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि मे समान अधिकार होने से सभी विधिक वारिसान के नाम म्युटेशन दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु सरपंच ग्राम पंचायत ने मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही अपीलाधीन म्युटेशन केवल एक पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के नाम स्वीकृत कर दिया, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेश की प्रथम जानकारी से ही मयाद लागू होती है तथा यह भी कथन किया कि किसी भी विधिविरूद्ध आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना केवल मयाद के बिन्दु पर अपील मयाद बाहर मानकर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था अपीलांट संख्या 1 से 3 बाहर रहते है तथा अपीलांट संख्या 4 ससुराल रहती है । अपीलांट ने जब अपने खातेदारी की भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन भूमि अकेले वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तो अपीलाधीन म्युटेशन की नकल हेतु 17–12–18 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 19–12–18 को प्राप्त हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय मे समय सीमा मे दिनांक 16–1–2019 को प्रथम अपील पेश कर दी थी जिसे अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया था परंतु

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहं मेरिट पर प्रकरण मजबूत हो वहां मयाद जैसे तकनिकी बिन्दू पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नही करना चाहिये । वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटगण मृतक खातेदार गिरधारीलाल के पुत्र एवं पुत्री है जो प्रथम श्रेणी के वारिस है इसलिए अपीलांटगण का केस मेरिट पर प्रबल होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तकनिकी मयाद के बिन्दु पर अपीलांटगण की अपील को खारीज कर उन्हे अपने पिता के खातेदारी अधिकारो से वंचित किया है जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत हुआ उस समय अपीलांटगण नाबालिग थे परंतु उनके पैदा होते ही उनके पिता की अपीलाधीन भूमि मे उनका अधिकार स्वतः ही सृजित हो चुका था एवं उनके वयस्क होने पर जैसे ही उन्हे अपने पिता के खातेदारी कृषि भूमि के रेकर्ड की वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई उनके द्वारा म्युटेशन की अपील अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांटगण की अपील को खारीज कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण के पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत नही होने मात्र से उनके अधिकार समाप्त नही हो जाते है ऐसे विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये म्युटेशन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–7–2019 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 जो कि वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2019 मे लगभग 48 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार करना चाहिये था । वर्तमान मामले मे अपीलांटगण जो कि मृतक खातेदार गिरधारीलाल के 3 पुत्र एवं 1 पुत्री के जिवित होते हुए केवल एक पुत्र वर्तमान रेस्पो0 सख्या 1 छोगाराम के पक्ष मे म्युटेशन स्वीकृत किया गया था, वह विधिविरूद्ध था क्योकि मृतक खातेदार गिरधरीलाल के अपीलांटगण भी विधिक वारिसान थे जिनका भी बराबर का हक अधिकार था परंतु उनका नाम अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज नही किया इसलिए अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान फाम नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया । खातेदार

गिरधारीराम के फोत होने पर उसके खातेदारी के संबंध मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 मृतक के एक लडके वर्तमान रेस्पो० संख्या 1 छोगाराम के पक्ष मे भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बेडा द्वारा दिनांक 13–6–1971 को स्वीकृत किया गया है। उक्त म्युटेशन का अवलोकन करने पर उक्त नामांतरकरण किसके द्वारा भरा गया है, म्युटेशन पर पटवारी हल्का का नाम अथवा हस्ताक्षर नही है; जिससे स्पष्ट है कि उक्त म्युटेशन मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मृतक के मात्र एक पुत्र के नाम स्वीकृत किया गया था जबकि वर्तमान अपीलांटगण जिनमे 3 पुत्र एवं 1 पुत्री भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार मृतक खातेदार गिरधारीराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान जीवित थे तथा उनका भी छोगाराम के साथ उक्त म्युटेशन मे नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था, इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध होने से ऐसे विधिविरूद्ध एवं प्रारंभ शून्य आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार गिरधारीराम के अन्य प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान (वर्तमान अपीलांटगण) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 79 को चुनौती देते हुए अपील पेश कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बात का कोई विरोध प्रकट नही किया गया कि अपीलांटगण मृतक खातेदार गिरधारीराम के पुत्र व पुत्री नही है । इसके अलवा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नायब तहसीलदार के समक्ष अपीलांट बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का बेडा प्रथम से मौका एवं राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट चाही जाने पर पेश की गई जिसमे मृतक खातेदार गिरधारीराम के विधिक वारिसान की सूची दर्शाई गई है जिसमे भी रेस्पो0 संख्या 1 छोगा के अलावा वर्तमान अपीलांटगण को मृतक के वारिसान दर्शाया गया था । ऐसे मे अपीलांटगण जो कि मृतक खातेदार गिरधारीराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका अपने पिता मृतक खातेदार गिरधारीराम के खातेदारी की भूमि मे बराबर का अधिकार होते हुए उन्हे उनके पिता के खातेदारी से वंचित करते हुए जो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 सरपंच ग्राम पंचायत बेडा द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना स्वीकृत किया गया था, इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 79 प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध एवं शून्य था तथा ऐसे विधिविरूद्ध एवं शून्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत म्युटेशन अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांटगण की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है; वह न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–7–2019 एवं ग्राम पंचायत बेडा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 79 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक गिरधारीराम के समस्त विधिक वारिसान

वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो० संख्या 1 एवं अन्य अपीलाधीन भूमि के हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर पुनः नये सिरे से म्युटेशन बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर